दाण्डिक विचारण में निर्णय का शीर्ष

जिला- पटना (बिहार)

न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी

उपस्थित- मो० गुलाम रसूल
न्या० दण्डा० प्र० श्रे०,
पटना ।
दिनाँक – 27.02.2026

सामान्य पंजी सं० 139/2012
कोतवाली थाना कांड सं. 15/2012
धारा 341,323,354,379 भा० द० वि०

राज्य

बनाम

1. तमन्ना बख्खो,पे०-नइम इलियास बंधू बख्खो,उम्र-40 वर्ष, साकिन-कमलानेहरू नगर,थाना-कोतवाली,जिला-पटना..... अभियुक्त

निर्णय / JUDGMENT

निर्णय की तिथि: 27.02.2026

1. अभियोजन का संक्षिप्त कथानक है कि दिनांक 06.01.2012 को समय करीब 7 बजे शाम में सूचिका अपने बेटा के लिए दवाई खरीदने जा रही थी कि विनोद चाय दुकान के सामने जब मैं पहुँची तो मेरी ही मुहल्ला के लड़का तमन्ना बख्खो सूचिका को धक्का देते हुए दोनों सीना पकड़ लिया और बोला कि हल्ला मत करो,जब मई चिल्लाने लगी तो दो तीन थप्पड़ मारा और बाल पकड़ कर खीचने लगा I दवाई खरीदने के लिए सूचिका के पास 5 सौ रुपया था वह तमन्ना छीन लिया और गाली-गलौज करने लगा, बगल के चाय के दुकान में बैठे लोगो के द्वारा तमन्ना को पकड़ने की कोशिश किया गया लेकिन वह भाग गया I
तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली थाना कांड सं. 15/2012 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की

गई तथा आरोपपत्र दायर किया गया।

2. आरोप

साक्ष्य संकलन उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 341,323,354,379 भा० द० वि० के तहत संज्ञेय अपराध का आरोप निर्धारित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण का विकल्प चुना।

3. साक्ष्य

अभियोजन को अनेक अवसर प्रदान किए गए, किंतु – कोई भी अभियोजन साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ न तो प्राथमिकी दर्ज करनेवाले पदाधिकारी और न ही अन्वेषण पदाधिकारी ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया। कोई भी दस्तावेज़ विधि के अनुरूप न्यायालय में सिद्ध नहीं किया गया।इस प्रकार अभियोजन द्वारा शून्य साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।
4. निष्कर्ष एवं विचार

यह दण्ड प्रक्रिया का सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपने आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा न तो मौखिक और न ही दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित निर्णय दिए गए हैं –
शरद बिर्धिचन्द सरडा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 SCC 116 – मात्र संदेह या आशंका साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकती।
राजस्थान राज्य बनाम राजा राम, (2003) 8 SCC 180 – अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल हो तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।
कालीराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (1973) 2 SCC 808 – यदि दो संभावित दृष्टिकोण हों तो वह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो अभियुक्त के पक्ष में हो।

वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पूर्णतया विफल रहा है और अभियुक्तों के विरुद्ध कोई भी दोषसिद्धि का आधार शेष नहीं रहता।

6. आदेश

अतः यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं। अतः अभियुक्त – तमन्ना बख्खो को धारा 341,323,379,354 भा० द० वि० के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत बंधपत्र (bail bonds) को मुक्त किया जाता है।

दिनाँक – 27.02.2026

मो० गुलाम रसूल
न्या० दण्डा० प्र० श्रे०,
पटना ।

निर्णय आज दिनाँक 27.02.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखित, शुद्धिकृत, हस्ताक्षरित, दिनाँकित, मुद्रांकित एवं उदघोषित किया गया।

दिनाँक –27.02.2026

मो० गुलाम रसूल
न्या० दण्डा० प्र० श्रे०,
पटना